विविध **बैंक प्रकरण संख्या 23/2022**(GCMS : 2022/36) **पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री निशान्त खुराना, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर बनाम 1. श्याम सुंदर पुत्र नरेश कुमार** निवासी मकान नं 458, गली नं. 05, शिव नगर, चक 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर एवं मकान नं. 103, अशोक नगर,–ए, श्रीगंगानगर **2. नरेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश** निवासी मकान नं 458, गली नं. 05, शिव नगर, चक 3 ई छोटी, श्रीगंगानगर एवं मकान नं. 103, अशोक नगर,–एं, श्रीगंगानगर

11.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारतभूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 03.02.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण श्याम सुंदर एवं नरेश कुमार को ऋण सुविधा के रूप में 12.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये बारह लाख मात्र) का ऋण दिनांक 27.01.2017 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण श्याम सुंदर एवं नरेश कुमार द्वारा अपनी सम्पत्ति रिहायशी मकान नं. 458 का भाग (पश्चिम मुखी), गली नं. 05(क्षेत्रफल 15' गुणा 70' कुल 1050 वर्गफुट), शिव नगर, चक 3 ई छोटी, मुरब्बा नं. 27, किला नं. 12, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 31.03.2021 को 12,14,368/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 22.06.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:18:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

डाक से भिजवाये गये है **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी श्याम सुंदर एवं नरेश कुमार **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक** रखी गई सम्पत्ति रिहायशी मकान नं. 458 का भाग (पश्चिम मुखी), गली नं. 05(क्षेत्रफल 15′ गुणा 70′ कुल 1050 वर्गफुट), शिव नगर, चक 3 ई छोटी, मुरब्बा नं. 27, किला नं. 12, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण श्याम सुंदर एवं नरेश कुमार** को 12.00/— लाख रूपये (अ़खरे रूपये बारह लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 27.01.2017 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी श्याम सुंदर एवं नरेश कुमार **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्ति** रिहायशी मकान नं. 458 का भाग (पश्चिम मुखी), गली नं. 05(क्षेत्रफल 15′ गुणा 70′ कुल 1050 वर्गफुट), शिव नगर, चक 3 ई छोटी, मुरब्बा नं. 27, , किला नं. 12, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **31.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 22.06.2021 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 01.07.2021 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा **अप्रार्थीगण को धारा 13 के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:18:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला रजिस्ट्रार
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणियों श्याम सुंदर एवं नरेश कुमार **की दृष्टि बंधक रखी गई सम्पत्ति** रिहायशी मकान नं. 458 का भाग (पश्चिम मुखी), गली नं. 05(क्षेत्रफल 15′ गुणा 70′ कुल 1050 वर्गफुट), शिव नगर, चक 3 ई छोटी, मुरब्बा नं. 27, किला नं. 12, श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 22.06. 2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 22.06.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण श्याम सुंदर एवं नरेश कुमार को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 01.07.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं **अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाइन ट्रैक की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो चुके है।** इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:18:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण ऋणियों श्याम सुंदर एवं नरेश कुमार के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2022 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित` **जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:18:43 IST
Reason: SelfAttested